न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढाना, जनपद मु0नगर।

मुकदमा अपराध संख्या 40 सन् 2023

सरकार बनाम शुभम आदि

धारा 60/63 एक्साईज एक्ट
थाना भौराकलॉ, जनपद मु0नगर।

बेल नं0 301/2023

29—04—2023

अभियुक्तगण गौतम कुमार व प्रवीण शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत *धारा 60/63 एक्साईज एक्ट मुकदमा अपराध संख्या 40/*2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि अभियुक्तगण निर्दोष एवं बेगुनाह है। अभियुक्तगण को गॉव की पार्टी बाजी के आधार पर पुलिस द्वारा झूठा फसाया गया है। पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दर्शाकर चालान किया है, अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध नही किया, अभियुक्तगण पूर्व सजायाप्ता नही है तथा उचित जमानत देने को तैयार है। अभियुक्तगण को रिहा करने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना व पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन कथांनक के अनुसार अभियुक्तगण पर अवैध शराब बेचने के आरोप लगाये गये है। अभियुक्तगण दिनांक 21.04.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नही है। अतः उक्त मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत हेतु आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण गौतम कुमार व प्रवीण शर्मा का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत *धारा 60/63 एक्साईज एक्ट मु0 अपराध* सं0 40/2023 थाना भौराकलॉ इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि

1— अभियुक्तगण प्रत्येंक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2— अभियुक्तगण द्वारा गवाहो को डरायेगा व धमकायेगा नही।

3— अभियुक्तगण द्वारा 20,000/रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल किये जाने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बुढाना, मु0नगर ।